नम्बर मुकदमा 137 / 2021
अनवान बंशीधर बनाम प्रमोद कुमार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– जीतू कुलहरी आर.ए.एस.
प्रकरण :– विविध प्रकारण संख्या 137 / 2021

बंशीधर पुत्र श्री सूरजमल जाति ब्राह्मण निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. प्रमोद कुमार पुत्र श्री अभिमन्यु जाति ब्राह्मण निवासी धीगड़ा पार्क के सामने, धींगड़ा स्ट्रीट, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।
2. विनोद कुमार पुत्र श्री अभिमन्यु जाति ब्राह्मण निवासी धीगड़ा पार्क के सामने, धींगड़ा स्ट्रीट, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर ।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर
4. वेद प्रकाश शर्मा पुत्र हरिकिशन शर्मा जाति ब्राहमण निवासी 7 जैड तह. व जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद 3 ए सूर्या कॉलोनी, चौपासनी पाल लिंक रोड जोधपुर राजस्थान
5. विष्णु चंद पुत्र हनुमान प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ हाल निवासी मोरजेंडखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
6. बृजमोहन पुत्र हरिकृष्ण जाति ब्राह्मण निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री सुरेश कुमार अरोड़ा	– –	प्रार्थी
2. श्री ओमप्रकाश बतरा	– –	अप्रार्थी 1 व 2
3. श्री राजेश गुम्बर	– –	अप्रार्थी 4
4. श्री राजवीर सिंह	– –	अप्रार्थी 5
5. श्री सुरेन्द्र सिंह	– –	अप्रार्थी 6
6. पैरोकार राज	– –	अप्रार्थी 3

–:: निर्णय::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.10 11:08:17 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक :– 18.06.2024

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.ए. के तहत [illegible] न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण [illegible] परिवार के सदस्य हैं, प्रार्थी व अप्रार्थीगण तथा अन्य के मध्य कृषि भूमि को लेकर मा[illegible] न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 श्रीगंगानगर में एक वाद नम्बरी दिवानी संख्या 32 / 59 चल रहा था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा राजीनामा के आधार पर दिनांक 05.12.1987 को निर्णय व डिक्री पारित की गई। बाद में उक्त वाद के विरूद्ध एक पक्षकार विरेन्द्र कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में एक अपील संख्या 33 / 1988 प्रस्तुत की गई। माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

सवाल ही पैदा नही होता। प्रार्थी द्वारा अपनी जमीन में जाने के लिए अलग से रास्ता है जो मौके पर चल रहा है । प्रार्थी की अप्रार्थी से कोई रास्ते की बात नहीं हुई, ना ही प्रार्थी, अप्रार्थी से मिला, केवल प्रार्थना पत्र की ताईद में दर्ज किया गया है। अतिरिक्त कथन– प्रार्थना पत्र जनाबवाला के क्षेत्राधिकार में नही है। प्रार्थी का कथन जो माननीय एडीजे–प्रथम के आदेश की पालना में लिए कथन किया गया है तो प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ना होकर एडीजे के क्षेत्राधिकार में है इसलिए भी प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। प्रार्थना पत्र इस आधार पर भी खारिज करने योग्य है कि माननीय सैशन न्यायालय में निर्णय के आधार पर अगर कोई अमल दरामद नहीं हुआ तो माननीय सैशन न्यायालय में इजराय लगाकर पालना करवायी जा सकती है। इस न्यायालय को सैशन न्यायालय के आदेश की पालना करवाने का अधिकार नहीं है। लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके अर्ज है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2, 3, 6 के द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर जवाब अप्रार्थी संख्या 2, 3, 6 बंद किया गया।

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं पत्रावली पर प्रस्तुत माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 05.12.2007 का अध्ययन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के अनुतोष में माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 05.12.1987 की पालना में रास्ता स्वीकृत किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 05.12.1987 के बिन्दु संख्या 8 में स्पष्ट अंकित है कि ***"यह कि पक्षकारान अभिमन्यु आने हिस्सा में आई आराजी मुरबा नं. 17 में से एक रास्ता फरीक गौरीशंकर को देने का पाबंद रहेगा व इसी प्रकार गौरीशंकर फरीक अपने मुरबा नं. 30 में से अभिमन्यु फरीक को रास्ता देने का पाबंद रहेगा।"*** उक्त निर्णय दिनांक 05.12.1987 में पक्षकारान के मध्य भूमि का विभाजन किया गया है किन्तु निर्णय एवं डिक्री में किस मुरबा में से व किस किला में रास्ता दिया जाना है यह स्पष्ट रूप से अंकित नहीं है। निर्णय दिनांक 05.12.1987 में गौरीशंकर व अभियन्यु दोनों पक्षकारो के एक दूसरे को रास्ता देने का वर्णन किया गया है, निर्णय दिनांक 05.12.1987 में प्रार्थी बंशीधर को रास्ता दिये जाने का अंकन नहीं है। प्रार्थी बंशीधरधर द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार गौरीशंकर को अपने प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है एवम् न ही प्रार्थना पत्र में वर्णित माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 श्रीगंगानगर के प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आदेश दिनांक 05.12.1987 में न्यायालय द्वारा इस न्यायालय को स्वयं के आदेश की पालना हेतु आदेशित किया गया है। उक्त विवेचन एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251–ए आर.टी.ए. विरोधाभासी होने, प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251–ए आर.टी.ए. में आवश्यक पक्षकारों के संयोजन के अभाव होने एवम् माननीय न्यायालय के आदेश में उक्त न्यायालय को रास्ता अंकन के निर्देश के अभाव में न्यायालय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार योग्य नहीं पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.10 11:08:17 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनाक 18.06.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

(जीतू कुलहरि)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

अपील को अपने निर्णय दिनांक 03.01.2018 के द्वारा खारिज कर दिया तथा न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 श्रीगंगानगर के निर्णय को पुष्ट किया । माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में एस. एल. पी. प्रस्तुत की गई, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। अब माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अन्तिम व प्रभावी हो चुकी है। जिसकी प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार प्रार्थी बंशीधर को चक 7 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 52 व 57 की 6दृ05 बीघा भूमि प्राप्त हुई तथा उक्त भूमि में आने जाने के लिए मुरब्बा नम्बर 57 के किला नम्बर 3/1 में 1 बिस्वा, किला नम्बर 6/1 में 1 बिस्वा व किला नम्बर 7/1 में 1 बिस्वा रास्ता प्राप्त हुआ। जिसका स्पष्ट विवरण माननीय न्यायालय द्वारा जारी डिक्री के पृष्ठ संख्या 2 व 3 पर अंकित है। जो भूमि प्रार्थी बंशीधर को प्राप्त हुई, उसका अमल दरामद प्रार्थी के नाम से हो चुका है। जमाबन्दी की प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र है । मगर जो मुरब्बा नम्बर 57 के किला नम्बर 3/1 में 1 बिस्वा, किला नम्बर 6/1 में 1 बिस्वा व किला नम्बर 7/1 में 1 बिस्वा रास्ता चल रहा है, उक्त रकबा राजस्व कर्मचारियों की भूल (सहवन) की वजह अप्रार्थीगण के नाम से खातेदारी दर्ज रह गया। नकल जमाबन्दी संलग्न है। उक्त मुरब्बा नम्बर 57 के किला नम्बर 3/1 में 1 बिस्वा, किला नम्बर 6/1 में 1 बिस्वा व किला नम्बर 7/1 में 1 बिस्वा में मौका पर रास्ता चल रहा है तथा प्रार्थी अब तक इसी रास्ता से अपने खेत में आ जा दर्ज रहा है, मगर उक्त रकबा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का खातेदारी होने के कारण हमेशा विवाद बना रहता है। इसलिए प्रार्थी उक्त रकबा को बतौर रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। प्रार्थी के पास उक्त में आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। यही एकमात्र विकल्प है। प्रार्थी को अपने रकबा में आने–जाने व कृषि कार्य करने के लिए रास्ता स्वीकृति करवाने की आत्यंतिक आवश्यकता है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से इस रास्ता को स्वीकृत करवाने के लिए कई बार कहा गया है, मगर पहले तो वह टाल–मटोल करते रहे, अब दिनांक 20.05.2021 को उसने सहमति से रास्ता स्वीकृत करवाने से साफ इन्कार कर दिया गया है। यही वाद कारण है। उक्त रास्ता के एवज में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं, क्योंकि उक्त रास्ता अप्रार्थीगण द्वारा अपनी सहमति से माननीय न्यायालय ए डी जे–1 श्रीगंगानगर के निर्णय की पालना में छोड़ा हुआ है। उक्त आराजी अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण प्रार्थना–पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अन्तर्गत आता है तथा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना है कि न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 श्रीगंगानगर के निर्णय व डिक्री दिनांक 05.12.1987 में वर्णित चक 7 जैड के मुरब्बा नम्बर 57 के किला नम्बर 3/1 में 1 बिस्वा, किला नम्बर 6/1 में 1 बिस्वा व किला नम्बर 7/1 में 1 बिस्वा को बतौर रास्ता स्वीकृत किया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के द्वारा इकबालिया जवबा प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो मुझ अप्रार्थी को कोई आपत्ति नही है ।

अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा जवबा प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार अप्रार्थी एक ही परिवार के सदस्य हैं । यह भी सही [illegible]का मामला जिला न्यायाधीश श्रीगंगानगर में चला था जिसमें धोखे से [illegible] मुरब्बा नम्बर–52 व 57 में 6 बीघा 5 बिस्वा रकबा प्रार्थी को प्राप्त हुआ [illegible] गलत है कि मुरब्बा नं.57 में किला नं. 3/1 में 1 बिस्वा, किला नम्बर – 6/1 में 1 बिस्वा, किला नम्बर – 7/1 में 1 बिस्वा में कोई रास्ता नहीं चल रहा, ना ही कभी कोई रास्ता था । [illegible] तरह से दर्ज की गयी है स्वीकार नहीं है क्योंकि मौके पर कोई रास्ता मन्जूर ही नहीं था, ना ही मौके पर कोई रास्ता चला था। जब कभी रास्ता मन्जूर ही नहीं था, ना ही कभी कोई रास्ता चला है तो राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी के नाम रकबा दर्ज किया वह सही किया गया है। जब रास्ता मौके पर है ही नही तो मन्जूर होने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kumari
Date: 2024.09.10 11:08:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर